485

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल , महोदय ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका क्र.

प्रस्तुति दिनांक R 4363 - I-16

RM
05
5.12.16

1. मुन्नीबाई पति स्व. नारान बैरागी,

2. केशव दास पिता स्व. नारान बैरागी,

3. संतोष दास पिता स्व. नारान बैरागी,

4. मालती बाई पिता स्व. नारान बैरागी,

5. दशो[illegible] पिता स्व. नारान बैरागी,

6. रमा पिता स्व. नारान बैरागी,

8. चेनूदास पिता स्व. प्रेमदास बैरागी,

सभी साकिन नयागांव तह. जबेरा जिला दमोह

---- पुनरीक्षणकर्ता

15.12.16

बनाम

प्रहलाद पिता निन्दा अहिरवाल

निवासी नयागाव तह. जबेरा जिला दमोह

---- उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा:- 50 म.प्र,भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्तागण, न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जबेरा जिला दमोह द्वारा अपील प्र.क्र. 67अ/6/वर्ष 2015-16 में दिनांक 28.9.2016 को पारित आदेश से दुखित एवं पीड़ित होकर निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

उत्तरवादी ने तथाकथित 1975 के फर्जी एवं कूट रचित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग. 4363-एक/2016 **जिला-दमोह**

मुन्नीबाई आदि विरूद्ध प्रहलाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जबेरा, जिला- दमोह के प्रकरण क्रमांक- 67/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-12-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा	

28/01/19

ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28/01/19
(आर.के. जैन)
सदस्य